न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

.सं. 94 / 2017
जीसीएमएस : 2017 / 00729

3. आशा सिहं पुत्र श्री दान सिहं जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.

—:प्रार्थी

बनाम

1.दान सिहं पुत्र श्री बन्ता सिहं जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गंगानगर राज0।

4. नानकी देवी पत्नी पुत्र दान सिहं जाति बावरी निवासी 66एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गंगानगर राज0 ।

3. परमजीतकोर पुत्री श्री दान सिहं नाबालिग जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।

7. अमरपाल कोर पुत्री दान सिहं नाबालिग जाति बावरी निवासी 66एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज0

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

9. पारी कोर पुत्री गुरजारी राम जाति बावरी निवासी गुलाबेवाला 52 जीजी तहसील श्री करनपुर जिला श्री गगांनगर।

—:अप्राथीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री सिकन्दर सिहं सवना अधिवक्ता प्रार्थी
श्री छविन्द्र सिहं अधिवक्ता अप्रार्थी स. 2—3—4
श्री सन्त कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी स.1
श्री उमेशकान्त सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6

—: निर्णय :—

दिनांक : 06.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी आशा सिहं व अप्रार्थी सं. 3—4 के दादा तथा अप्रार्थी सं. 2 के ससुर किशन सिहं पुत्र बुध सिहं के नाम से चक 8 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 9 प.न. 245 / 353 में 6.325 है0 नहरी / कमाण्ड भूमि थी। प्रार्थी के दादा के तीन पुत्र थें जिनको दिनांक22.05.2015 को जरिये दान पत्र बहिस्सा बराबर भूमि करवा दी तथा उसमें से एक हिस्सा प्रार्थी के दादी के नाम 1/4 हिस्सा करवा दी , मुझे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2—3—4 के दादा व ससुर द्वारा उक्त भूमि दिनांक 22.06.2015 को नामान्तरण सं. 157 द्वारा जरिये दान पत्र मुझे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता व अप्रार्थी स. 2 के पति अप्रार्थी सं. 1 के नाम से उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा मानते हुये कि.न. 1 ता 5 /1 में 1.265 है. , 9/0.063, 10/0.253है कुल 1.581है0 भूमि दान पत्र तस्दीक करवा दिया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3—4 के दादा को आवंटन हुई थी तथा उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा की भूमि में विरास्तन हिस्सा कानूनन बनता है। जिसके प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। हम प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के बहकावे आकर उक्त भूमि जरिये दान पत्र दान में दे दी तथा हम प्रार्थी व अप्रार्थीगण को दादा की भूमि मे से विरास्तन हिस्से से वंचित कर दिया । जिसको प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। मुझे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2—3—4 के पिता व पति अप्रार्थी सं. 1 भिन्न भिन्न प्रकार का नक्शा सेवन करता है जिसके [illegible] बैठा हैं । हम प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2—3—4 की जरूरतों का ध्यान न[illegible] तथा 24 घण्टे नशे में रहता है ,नशे के पुर्ति करने के लिये बहुत से [illegible] है, लोगों की नजर उक्त भूमि पर है वो येन प्रकार उक्त भूमि को खरी[illegible]ना चाहते है तथा अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में है [illegible] बात की जान[illegible] हुई , की अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में है तब मुझे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2—3—4 ने अपनी दादी माया देवी को दिनांक 22.07.2017 को गांव 66 एन पी में बुलाकर अप्रार्थी स. 1 को समझाने की कोशिश की तो उसने एलानिया धमकी दी कि मै उक्त भूमि के ग्राहक तलाश कर लिये है मै आज कल में ही विक्रय कर दूंगा ओर तुन्हें प्राप्त होने वाले विरास्तन हिस्से से वचित कर दूंगा। इसलिए जरिये अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

निषेधाज्ञा भूमि की विक्रय करने से अप्रार्थी सं. 1 को रोका जावे। उक्त भूमि में मुझे प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सं. 3 व 4 का विरासतन हक बनता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन मेरे पक्ष में है। अगर अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को विक्रय कर देता है तो मुझे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3–4 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाये कि चक 8पीटीडी ए के मु.न. 9 प.न. 245/353 के कि.न. 1 ता 5/1 में 1.265 है. , 9/0.063 , 10/0.253 कुल 1.581 है0 भूमि को उनके हित बद्व व्यक्ति व पश्चातवर्ती व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी न करें रहन बैय हस्तान्तरण न करे तथा उक्त भूमि की मौका की यथारिथति बनाये रखे।

2. प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र के स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 2–3–4 की ओर से श्री छविन्द्र सिहं अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री सन्त कुमार बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये। प्रार्थीया पारीकौर की ओर से श्री उमेश कान्त सोनी अधिवक्ता उपरिथत होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को दिनांक 3.11.2021 को प्रस्तुत किया। नकल अप्रार्थी के वकील को दिलवाई गई। जबाव प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत हुआ। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण को सुनने उपरान्त प्रार्थना पत्र दिनांक 9.2.2023 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया पारीकोर को अप्रार्थी सं. 6 पक्षकार बनाया गया। प्रार्थना–पत्र में लाल स्याही से नाम अंकन किया गया। अप्रार्थी स .1 का जबाव प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.4.2024 को प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को जबाव प्रा.पत्र प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के पश्चात् दिनांक 27.5.2024 को जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थीया सं. 3 पारीकोर ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन–पत्र में अंकित तथ्यों को विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त आपत्तियां में कहॉ है कि प्रार्थी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हैं तथा ना ही दावा में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1दान सिहं अथवा प्रार्थी के कब्जा काश्त में है मुझे अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं.1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.02.2021 के द्वारा विवादित भूमि चक 8 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के 9 प.न. 245/353 के कि.न. 1 ता 5/1 में 1.265 है., 9/0.063, 10/0.253 कुल 1.581 है0 नहरी भूमि खरीद की हई तथा खरीद के रोज से लेकर अप्रार्थीया सं. 3 विवादित भूमि पर काबिज है जो बैयनामा उप पंजीयक समेजाकोठी से पंजीयन शुद्वा है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन सिद्व नहीं है तथा नाही प्रार्थीगण विवादित भूमि के टिनेन्ट है इसलिए वे माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थाई अथवा अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा ना ह िवे ऐसा वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र वर्तमान सूरत में खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही दिलाया जावे।

3. अप्रार्थी सं.1 ने जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त आपत्तियां में अंकित किया है कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है तथा ना ही प्रकरण में वर्णित भूमि आज रोज मुझ अप्रार्थी सं. 1 दान सिहं अथवा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है मुझे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इस भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.02.2021 के द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को बेचान की हुई है तथा अप्रार्थी सं. 3 ही उक्त विवादित भूमि पर काबिज है जो बैयनामा उप पंजीयक समेजा कोठी से पंजीयन शुदा है। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन सिद्व नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण विवादित भूमि के टिनेन्ट है इसलिए वे माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थाई अथवा अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा ना ही वे ऐसा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अतः जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही दिलाया जावे।

6. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि उनके दादा को आवंटन हुई थी। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण दादा के भूमि में विरास्तन हिस्सा कानूनन बनता है। जिसे प्राप्त करने के प्रार्थी अधिकारी है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को भूमि बेचान करने से रोका जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया का अप्रार्थी सं. 1 विरूद्व मूल वाद तक स्थाई स्थगन

खण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

ादेश जारी किया जावे कि विवादित भूमि का किसी तरह से बैचान व हस्तान्तरण न करे तथा उक्त भूमि मौका की यथस्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना प में अंकित को दोहराया। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 खातेदार टिनेन्ट है। उसी का कब्जा काश्त है। उसे बेचान करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया । अप्रार्थीया पारीकौर के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है। बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भूमि वाके चक 8पीटीडीए की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं.8/6 के मु.न. 9 प.न. 245/353 के कि.न. 1 ता 25 कुल 6. 325 है. कमाण्ड भूमि किशन सिहं सपुत्र बुध सिहं जाति बावरी निवासी 66 एनपी के नाम खातेदार दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम सं. 10–11–12 में नोट अंकित है कि नामा. सं. 157 निर्णय दिनांक 22.6.2015 दान 1. सतनाम सिहं पुत्र वन्ता सिहं को 1. 581है., 2. दान सिहं पुत्र बन्ता सिहं को कि.न. 1 ता 5/1के 1.265, 9/0.063, 10/0. 253 कुल 1.581है. , 3. भगतराम पुत्र बन्ता सिहं को 1.581है. 4. माया पत्नि बन्ता सिहं को 1.582 है. खातेदार भूमि प्राप्त हुई है। दान सिहं व सतनाम सिहं का रकबा एम.जी. एम. शाखा क्रमशः रायसिंहनगर व सुखचेन पुरा के मुर्तहीन तथा भगतराम का रकबा एस.बी.आई. शाखा रायसिंहनगर के मुर्तहीन है। विवादित भूमि विरास्तन में अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुई है। जो उसके नाम खातेदार दर्ज है। खातेदार टिनेन्ट के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया है। विवादित भूमि जददीजायदाद या पैतृक सम्पति है या नहीं , इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों से मूल वाद में साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तया किया जाना है। फिलहाल तो स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदार दर्ज है। ऐसे में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। ऐसे में प्रथमा दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं है।

–:आदेश:–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है। प्रकरण स. 18/21 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 25.02.2021 को भी निरस्त किया जाता है। दोनों प्रकरण का एक साथ निस्तारण किया जाता है। निर्णय प्रति प्रकरण सं. 18/21 में संलग्न किया जावे। पत्रावली फैसले शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न रहे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner